

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर)

हराम पुत्र नारायणराम बनाम झमूदेवी पत्नी कुम्भाराम वगैरा

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्या 12/14

सन् 2014

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
 अहकार जो इस  
 हुक्म की तामील  
 में जारी हुए

14

प्रार्थना पत्र रजिस्टर किया जाकर किया जावे । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित । अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पर एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली व राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण की गम्भीरता के मध्य नजर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1546 मौजा अजीतनगर खसरा नम्बर 1411 मौजा विश्वकर्मा नगर , खसरा नम्बर 1580 मौजा फतेहनगर पटवार क्षेत्र नाथडाउ तहसील बालेसर में मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । अप्रार्थीगण के सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11.4.2014 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी

बालेसर

1/5/14


पत्रावली पेश हुई 1/5/14 को जज की अज्ञातता में  
 जज के पत्रावली पेश हुई 28/5/14 को पेश  
 से/Boo

1/5/14

पत्रावली पेश हुई 1/5/14 को जज की अज्ञातता में  
 अप्रार्थीगण के सम्मन जमान 18-11-14 को  
 जज के पत्रावली पेश हुई 4/6/14 को पेश हुई



फर्द अहकाम

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज  | नं. व तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामिल में<br>जारी हुई |
|----------------|---|---|
| 15/5/24        | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पेशी पर बहस सूनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओं पर पत्रावली का अवलोकन किया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रथम दृष्टतया मामला :- राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में सिद्ध होता है।</li> <li>2. सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकर्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।</li> <li>3. अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्ध करना है परन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्ध होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि की मौका एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है।</li> </ol> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है एवं मौजा ग्राम अजीतनगर पटवार क्षेत्र नाथडाउ के खसरा नम्बर 1546 मौजा विश्वकर्मा नगर के खसरा नम्बर 1411 एवं मौजा फतेहनगर के खसरा नम्बर 1580 पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> |   |